

3

प्रति,

श्री आर्य समाज,
संस्कृत विद्या,
उत्तर प्रदेश प्रान्त ।

सेवा में,

संस्कृत
सांस्कृतिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा संघ 2 मंडलाय, संस्कृत,
प्रांति विहार नई दिल्ली ।

दिनांक 17/12/1998

दिनांक: 4 मार्च, 1998

विषय:- सरस्वती विद्या मन्दिर सोनभद्रपुर मन्ना गुरदावाड़ श्री श्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्री नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुमति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

संदर्भ,

आपका विषयक पर मुझे पत्र मिले का ज्ञान हुआ है कि सरस्वती विद्या मन्दिर सोनभद्रपुर मन्ना गुरदावाड़ श्री श्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्री नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुमति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को विन्यतिहित प्रतिक्रिया के अधीन आकर नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का तथ्य तथ्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की पुस्तक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रशिक्षित स्थायी अनुभवी शिक्षक/अनुभवी अध्यापक के बर्षों के लिए तुरन्त रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यालयों में विनियम-कमानों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय सांस्कृतिक शिक्षा परिषद से वित्तिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित अनुमति सांस्कृतिक शिक्षा परिषद/कोशिल फार दि अनुमति रकम कोशिल फार सम्बन्धित नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने को शिक्षा परिषद के कारिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- सेवा वित्तिक कोशिल फार समितियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को अनुमति देकर मांगें तथा अन्य बर्षों से कोशिल फार तथा अन्य मांगें नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- अध्यापकों की सेवा नहीं कराये जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के समान ही मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने की अनुमति दी जायेगी ।

- 7- राज्य सरकार द्वारा तय्य तय्य पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय जो रिकार्ड निर्धारित मुद्रा/वर्षिकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त अर्थों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुचिन्तित किया जाय कि

1- विद्यालय में क्या । से 5 तक की कक्षाएँ भी सम्मिलित होंगी ।

2- सभी अधारकों एवं कार्यवाहियों को न्यूनतम मजदूरी दर के अनुस्य पैसा दिया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तबथा पालन करने में किसी प्रकार की धुक वा शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

अधीन,

सुनील मणिनी।
संयुक्त सचिव ।

सुनील 514 111/15-7-1998 तदुदिनांक

प्रतिबन्ध निम्नलिखित को सुनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अधीन संयुक्त शिक्षा विभाग मुरादाबाद ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंगल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, सरकारी विद्या भन्डिर दीनदयालपुर तमल मुरादाबाद ।

अधीन,

(Signature)

सुनील मणिनी।
संयुक्त सचिव ।

8